G.P.Ju

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of co... of the Or...
	दोनों अधिवक्तागणओं की बहस सुनी गई। वास्ते 07R11 CPC प्रा. पत्र पर आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23/05/2024 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	
23/05/24	पत्रावली पेश। प्रा. पत्र under 07 R11 CPC पर उभयपक्ष बहस का मनन किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी-" वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का नाम खतौनी बंदोबस्त की सं- (3) में कुम्भसिंह व बिरदसिंह वगैरा दर्ज है। उपभोक्ता का नाम खेतसिंह वल्द बींजराज दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि कुम्भसिंह व बिरदसिंह जागीरदार थे। जागीरदारी समाप्त होने के पश्चात जागीरदारों के नाम खतौनी बंदोबस्त से हटाकर खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये, उसी अनुसार आज दिन तक खेतसिंह वल्द बींजराजसिंह के नाम खातेदारी है। जिसका 81 वर्ष तक एतराज नहीं किया गया। खतौनी बंदोबस्त के समय प्रति: सं. 01 से 10 के पूर्वज व तत्पश्चात उनके वारिसान के रूप में प्रति. सं. 01 ता 10 ही	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compl of the Order
	काबिज काश्त है। विवादित भूमि के चारों तरफ पट्टियाँ खड़ी करके भूमि सुरक्षित की हुई है। वाद बिना कब्जे एवं अधिकार के होने से खारिज योग्य है। Raj Rev. manual के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम खातेदारी record में दर्ज है, उसी का कब्जा व स्वामित्व समझा जावेगा। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान भी गलत है। प्रति. के द्वारा संवत् 2011 से 2030 तक 10₹ 13 आना की राशि भरकर पट्टा ठिकाना प्राप्त किया गया। वादीगण के द्वारा ना तो कभी बिगोड़ी लगान की राशि भरी ना खातेदारी मिली। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।"	
	मुताबिक बहस प्रार्थी-" प्रति. ने यह स्वीकार किया है कि खतौनी बंदोबस्त में कुंभसिंह वगैरा का नाम दर्ज है, जो सांझेदार है। खतौनी बंदोबस्त में दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं किये जा सकते। जागीरी रिजम्पशन act लागू होने के समय प्रति. के पूर्वज, वादीगणों के पूर्वजों के यहाँ कृषक कार्य करते थे, इसप्रकार भूलवश राजस्व record में प्रति. का नाम दर्ज कर दिया गया है। मौके पर कब्जा वादीगण का ही है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	देरीना करने के उद्देश्य से प्रा. पत्र पेश किया गया है। साथ ही वाद खारिज करने का आधार भी प्रा. पत्र में उल्लेखित नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	अप्रि. अप्रार्थी- द्वारा निम्नानुसार citations पेश किये गये-	
	1. Alpana Gupta ... V/s APG Towers H' Supreme court judgement-" pleas taken by defendants in application do not fall within any of clauses of O7 R11; such pleas ought to have been taken by defendants in written statement."	
	2. Dinesh Parmar & ... V/s Smt. Usha Sharma & ... H' Raj. High court judgement -" limitation is mixed question of law & fact - while considering application for rejection of plaint the general rule can't be applied in abstract - if question of limitation requires recording of evidence of rival parties then it would be unsafe to depart from general rule - If in a given case by averments of the Plaint the	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of com of the Orde
	suit is barred by limitation then power of courts to reject the plaint can be exercised." अधि. उभय पक्ष द्वारा कुछ photographs पेश किये गये। अधि. 3 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत photographs में विद्यालय के gate पर जीवराज सिंह S/o खेतसिंह लिखा है। अधि. प्रार्थी अनुसार विद्यालय की जमीन खेतसिंह वगैरह के द्वारा दान की गई थी, अतः gate पर उनका नाम अंकित है। अधि. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत photograph में किसी अन्य School के gate पर डूंगरसिंह S/o स्व. हीरालाल लिखा है। अधि. अप्रार्थी के अनुसार केवल मात्र gate पर नाम अंकित होना खातेदारी साबित नहीं करता है, वरन यह केवल दान में दी गई वस्तु के लिए है। उपरोक्त दस्तावेजों, तथ्यों, बहस के अनुसार प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है - " बहस के समर्थन में प्रस्तुत कानूनी उदरण हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते। ख.सं. 374 जागीर पुनर्ग्रहण के समय एवं राज. काश्तकारी अधि. के लागू	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	होने के पूर्व से ही बतौर काश्तकार खेतसिंह वल्द बींजराज का नाम राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बंदोबस्त में अंकन है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित है, अतः प्रार्थीगण का प्रा॰ पत्र under 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priinka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT) जोधपुर, सत्यमेव जयते